

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग, गढ़वा एवं गुमला।

विषय:-

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन,
लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-04-प्रमाण पत्र स्थापना
के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु कार्यालयवार कुल
₹17,63,500/- (सत्रह लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र
का आवंटन।

राँची, दिनांक-06-01-2023

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु
कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹17,63,500/- (सत्रह लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ
रुपये) मात्र की राशि निम्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है:-

क्र.	इकाई	विपत्र कोड	हजारीबाग HZBDAD 011	गढ़वा GRHDAD 007	गुमला GMLDAD 002	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन	40S20530009404000101	30000	538000	594000	1162000

- इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 245/बजट, दिनांक-30.03.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
- आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

M. K. Sonu
06/01/2023

(कमल किशोर सोन)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-

113/31/11

राँची, दिनांक-

06-01-2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

M. K. Sonu
06/01/2023

सरकार के प्रधान सचिव

M. K. Sonu